हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(षष्टम् सत्र)

लिखित उत्तर हेतु प्रश्न

बुधवार, 28 अगस्त, 2019/6 भाद्रपद,1941(शक्)

[मुख्य मन्त्री - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री - शिक्षा मन्त्री - शहरी विकास मन्त्री - कृषि मन्त्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री - उद्योग मन्त्री - वन मन्त्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री].

कुल प्रश्न - 5

सड़क सुविधा

426 श्री वीरभद्र सिंह(अर्की) :

क्या **मुख्य मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि गांव बोई, ग्राम पंचायत बेरल (अर्की) तथा भियुंकरी से उखू वाया पंजल क्षेत्र सड़क सुविधा से वंचित है; यदि हाँ, तो सरकार यहां कब तक सड़क सुविधा उपलब्ध करवाएगी?

परिवहन सब-डिपो

427 श्री वीरभद्र सिंह (अर्की):

क्या **वन मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अर्की में परिवहन सब-डिपो खोलना प्रस्तावित है; यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जाएगा?

बी0पी0एल0 परिवार

428 श्री वीरभद्र सिंह (अर्की):

क्या **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत एक वर्ष में दिनांक 31.07.2019 तक सरकार द्वारा कितने बी0 पी0 एल0 परिवारों को सूची से हटाया गया है;

(ख) सरकार बी0 पी0 एल0 के अपात्र परिवारों को हटाकर पात्र परिवारों को इस सूची में शामिल करने का विचार रखती है; और

(ग) अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने परिवारों को बी0 पी0 एल0 सूची से हटाया गया और कितने नए पात्र परिवारों को सूची में जोड़ा गया है; ब्यौरा दें?

नगाड़चियों को वेतन

429 श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर):

क्या **मुख्य मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर चम्बा में नगाड़चियों को केवल मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है जबकि इनसे दिन में 5 बार पूजा के समय ढोल-नगाड़े बजवाए जाते हैं; यदि हां, तो सरकार इनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है?

वित्तीय अनियमिताएँ

430 श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर):

क्या **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि प्रधान ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर के विरुद्ध पंचायत उप-प्रधान ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत कई महीने पहले उपायुक्त किन्नौर को लिखित रूप में दी थी; और

(ख) क्या कारण है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई?

शिमला: 171004. **यशपाल शर्मा,**

दिनांक: 9 अगस्त, 2019. **सचिव।**